190

संख्या–523 /XV-2/01(05)/2006(डेरी)

प्रेषक,

डॉ रणवीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग– 02 देहरादून, दिनांक 10 सितम्बर, 2013:

विषयः–वित्तीय वर्ष 2013–14 में डेरी विकास विभाग को जिला योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरण (एस0सी0एस0पी0) योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–228–30/लेखा–प्रस्ताव आयो0एस.सी.एस.पी./2013–14, दिनांक 23–05–2013 तथा वित्त विभाग के शासनादेश सं0–284/XXVII(1)/2013, दिनॉक 30–03–2013 तथा शासनादेश संख्या 329/XXVII(1)/2013, दिनॉक 15–04–2013 एवं शासनादेश संख्या–560/XV-2/01(05)/2013, दिनांक 03–07–2013 के क्रम मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में डेरी विकास विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरण जिला योजना (एस.सी.एस.पी.) में अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ ₹ 2.77 लाख (₹ दो लाख सत्तहतर हजार मात्र) की धनराशि हरिद्वार जनपद को निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहॉ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। शासन द्वारा समय–समय पर जारी मितव्ययता संबंधी निर्देशों का पालन अवश्य किया जायेगा।
2. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक प्रतिमाह की 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–9 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
3. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याक्षा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमो एवं क्रय संबंधी शासनादेशों का पालन किया जायेगा। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2014 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाणक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।
5. विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीध्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जायेगी एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जायेगा ताकि मासिक आधार पर व्यय की सूचना परिलक्षित होने से अनुपूरक मॉग के समय सही निर्णय लिया जा सके।
6. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–01, (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग–01 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन

सुनिश्चित किया जाय। साथ ही मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों, डी.जी.एस.एन.डी की दरें, टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के दिशा–निर्देशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जाये।

7. जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।

8. धनराशि का उपयोग उपरान्त कराये गये कार्यो की योजनावार/लाभार्थिवार/ग्रामवार सूची एवं व्यय का विवरण समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराया जायेगा।

2– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुदान संख्या–30 के अंतर्गत लेखाशीर्षक–2404–डेरी विकास–00–आयोजनागत–102–डेरी विकास परियोजनायें–02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, 0291–ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरण (जिला योजना)–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नाम डाला जायेगा।

3–यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2012 में निहित प्राविधानानुसार www.cts.uk.gov.in से साफ्टवेयर के माध्यम से निर्गत विशिष्ट एलाटमैन्ट आई0डी0 संख्या तथा प्रमुख सचिव, (वित्त) के शासनादेश संख्या– 284 /XXVII(1)/2013, दिनांक 30 मार्च, 2013 द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे है।

संलग्नक– मानलाति आवंटन की प्रति

भवदीय,

(डॉ रणवीर सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 523(1)/XV-2/01(05)2006(डेरी) तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डालायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. स्टाफ ऑफिसर–प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,वन एवं ग्राम्य विकास विभाग को अवगत कराने हेतु।
5. निजी सचिव–मंत्री, डेरी विभाग को मा0 मंत्री जी को अवगत कराने हेतु।
6. निदेशक, डेरी विकास विभाग, मंगलपड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)।
7. समस्त सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव।